प्रेस नोट थाना एम्स जनपद गोरखपुर दिनांक 16.08.2025

हत्या का अपराध कारित करने के आरोप मे 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद आला कत्ल (फावड़ा) बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में व थानाध्यक्ष एम्स के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-303/2025 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त राधेश्याम मिश्रा को घटना में प्रयुक्त फावड़े के साथ गिरफ्तार किया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.08.2025 को अभियुक्त द्वारा जायदाद की बात को लेकर फावड़े से अपने पिता के सिर व गर्दन पर हमला किया गया जिससे उनकी मृत्यु हो गयी । जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना एम्स पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राधेश्याम मिश्रा पुत्र भागवत मिश्रा निवासी रजही रमसरिया थाना एम्स जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 303/2025 धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता थाना एम्स जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

घटना मे प्रयुक्त एक अदद आला कत्ल (फावड़ा)

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रविन्द्र सिंह, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 पवनेश पाण्डेय, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
4. कां0 राकेश सिंह, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
5. कां0 विकास यादव थाना एम्स, जनपद गोरखपुर
6. कां0 प्रवीण यादव थाना एम्स, जनपद गोरखपुर